08 OCT 2011

(समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर

निविदा आमंत्रण सूचना (संख्याः–02/2011–12)

बिहार के राज्यपाल महोदय की ओर से गैर योजना शीर्ष 3054 अंतर्गत पथों के मरम्मतिकरण कार्य हेतु ग्रामीण कार्य विभाग में उचित श्रेणी में निबंधित सवेदकों से प्रतिशत दर पर ई– निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जाती है।

Sl. no.	Name of work	Length (Km)	Estimated Cost (Lakh)	EMD (Lakh)	Cost of BOQ (in Rs.)	Date of completion	Amount Payable to
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बरियारपुर खड़गपुर मुख्य पथ बनारसी वासा रघुनाथपुर से भदौरा जाने वाली पथ का मरम्मतिकरण कार्य।		50.00	1.00	5000	3 Months	E.E., R.W.D.(W) Division, Munger
2	डाढ़ा से झुरिया भाया सरौन एवं मकवा नहर मोड़ तक पथ का मरम्मतिकरण कार्य।	3.00	50.00	1.00	5000	3 Months	

1. सभी निविदा प्रतिशत दर पर ई–निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित की जा रही है। ई–निविदा पत्र वेबसाईट से प्राप्त http:/pmgsytendersbih.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की शुद्धि पत्र वेबसाईट पर ही प्रकाशित किया जायेगा।
2. 50 लाख रूपये से कम राशि के लिये एकल एवं 50 लाख से ऊपर के कार्यो के लिये दो लिफाफा पद्धति से ई– निविदा आमंत्रित किया जा रहा है जो अन्ततः लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–2 पर अंकित किया जायेगा। दो लिफाफे वाले निविदाओं(50 लाख से ऊपर की राशि के लिये) में एक तकनीकी बीड होगा जिनमें तकनीकी बीड से संबंधित निम्न वर्णित कागजातों(मूल में) को स्कैन कर के अपलोड करना होगा।

(1) ग्रामीण कार्य विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र

(2) अद्यतन लेबर लाइसेन्स

(3) वाणिज्यकर/वैट निबंधन प्रमाण–पत्र

(4) अद्यतन वाणिज्यकर/वैट स्वच्छता प्रमाण पत्र केवल सफल निविदाकारों के द्वारा एकरारनामा से पूर्व देना आवश्यक होगा।

(5) अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र

(6) पैन कार्ड

(7) अभियंत्रण ईकाई में कार्यरत कर्मियो की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजनकर्ता एवं नियोजित अभियंता का शपथ प्रमाण पत्र

(8) यंत्र–संयंत्र एवं गुणवत्ता उपकरणों का स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा निविदाकार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/फर्म से यंत्र/संयंत्र उपलब्ध कराने का प्रतिशपथ पत्र, साथ ही व्यवहृत होने वाले यंत्र–संयंत्रों की व्यवस्था करने संबंधी प्रमाण पत्र

(9)समरुप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा नये निबंधित निविदाकारों द्वारा किसी अन्य कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र या राष्ट्रीयकृत बैंको से कार्यक्षमता से संबंधित प्रमाण पत्र

(10)विगत पाँच वर्षों में से किसी तीन वर्ष का वार्षिक टर्न ओभर

(11)साझेदारी फर्म/कंपनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएंशन की प्रति

(12) निविदाकार के अधीन लम्बित कार्यो की राशि सहित सूची

(13)अग्रधन की राशि जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवां निर्गम), किसान विकास पत्र अथवा सावधि जमा पासबुक (1,2,3 एवं 5 वर्षीय) जमा पासबुक के रूप में हो अथवा बिहार राज्य में अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक गारंटी (एक करोड़ से ऊपर के परिमाण विपत्र के लिये) जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पदनाम से प्रतिज्ञित हो, मूल में समर्पित किया जायेगा।

यदि इनमें कोई भी कागजात नही रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके तकनीकी बीड को अमान्य कर दिया जायेगा।

3. परिमाण विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि लिफाफे में डालकर निश्चित रूप से निविदा खुलने के मूर्व कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, मुंगेर/मुख्य अभियंता – I,ग्रामीण कार्य विभाग,पटना के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से अथवा हाथों– हाथ पहुँचाना होगा। इस कार्य में निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा।
क) संवेदक अपना नाम अथवा फर्म का नाम लिफाफे के उपर नहीं लिखेंगें।
ख) ई–निविदा जमा करने पर एक पावती(Acknowledgement) प्राप्त होता है। उस पावती पर दिये गये संख्या को ही परिमाण विपत्र का मूल्य एंव अग्रधन की राशि डाले हुये लिफाफे के उपर लिखेंगें। यह निविदा की गोपनीयता के लिये आवश्यक है।
ग) ई– निविदा जमा करने पर प्राप्त पावती(Acknowledgement) की छायाप्रति लिफाफे में डाल देंगें जिससे समुचित पहचान की ज़ा सकती है।
4. वित्तीय बिड डाउनलोड किये गये परिमाण विपत्र(BOQ) में ही रेट डालकर अपलोड करना होगा। तकनीकी बिड खोलने के बाद अभिलेखों के जाँचोपरान्त मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति/अ0अ0 की अध्यक्षता में गठित तकनीकी बीड मुल्यांकन समिति(अ0अ0 को निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति के अन्दर होने पर) अंक तालिका के आधार पर मूल्यांकन किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का वित्तीय बीड खोलने की तिथि बाद में निर्धारित की जायेगी एवं इसकी सूचना समयानुसार दी जायेगी।
5. अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक से निर्गत होना चाहिए, जिस जिले का पता निबंधन में अंकित है अथवा जहाँ व्यवसाय चल रहा है। व्यवसाय वाले जिले में उनके द्वारा कराये कार्यो, प्रगतिशील कार्यों एवं कार्यालय का पता से संबंधित साक्ष्य देना है। पार्टनरशीप एवं कंपनी के मामले में क्रमशः प्राइम पार्टनर एवं प्रबंध निदेशक का आचरण प्रमाण पत्र आवश्यक है।
6. उपरोक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (नहीं लौटाने योग्य) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के रूप में जो कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर के पद्नाम से मुंगेर में भुगतेय हो, देना होगा। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि परिमाण विपत्र अथवा अग्रधन की राशि के लिये नही ली जाएगी।
7. कार्यो की विशिष्टि के अनुरूप करने हेतु सभी आवश्यक मशीनों एवं यंत्र संयंत्रों, गुण नियंत्रण उपकरणों के स्वामित्व प्रमाण पत्र निविदादाता द्वारा तकनीकी बीड के साथ संलग्न करना होगा । नये व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि आवश्यक मशीनों एवं यंत्र संयंत्रों, गुण नियंत्रण उपकरणों की व्यवस्था निविदादाता द्वारा स्वयं करनी होगी। निविदादाता द्वारा किसी व्यक्ति/फार्म से यंत्र संयंत्र की व्यवस्था संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की स्थिति में विभाग द्वारा इसकी सत्यता एवं कार्यभार के संबंध में संतुष्ट हो लिया जाएगा। यदि कार्य को विशिष्ट के अनुरूप सम्पन्न करने हेतू यंत्र संयंत्रों, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला इत्यादि इन्हें स्थापित करने हेतू आवश्यक भूमि (हॉट मिक्स प्लांट/मिनी हॉट मिक्स प्लांट, परिमाण विपत्र के अनुसार जो लागू हो, गुण नियंत्रण प्रयोगशाला आदि के लिए) की उपलब्धता ससमय सुनिश्चित नहीं की जाती है और इसके चलते कार्य समय पर पूर्ण नहीं होता है तो सम्वेदक को काली सूची में डालने की कारवाई की जाएगी।
8. पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म निविदा का पात्र नहीं होगा। यदि किसी फर्म का कोई पार्टनर रनिंग संवेदक है तथा उनका अलग निबंधन है, तो उनके नाम से निर्गत किसी भी मशीन का स्वामित्व अनुभव इत्यादि की मान्यता फर्म के लिए नहीं दी जाएगी।
9. प्राक्कलित राशि में कमी या बृद्धि हो सकती है। अतः अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि तथा परिमाण विपत्र की राशि देय होगी।
10. डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त संवेदको की वेबसाईट http://pmgsytendersbih.gov.in पर स्वयं रजिस्ट्रेशन करना होगा तभी वे ई– निविदा की प्रक्रिया में भाग ले पायेंगें।
11. निविदादाताओं को आंवटित कार्य से संबधित सभी सामग्री के क्रय का प्रमाणक जिसमें उनके विशिष्टि का स्पष्ट वर्णन हो समर्पित करना होगा। जिसके अभाव में भुगतान रोक दिया जा सकता है।
12. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र क्रय करने के पहले कार्य स्थल, प्राक्कलन, क्वायरी ;Quarry) की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
13. आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जाएगा। इस मद में कोई दावा या ब्याज इत्यादि अनुमान्य नहीं होगा।
14. संवेदक के द्वारा विविध कार्यो के लिए एकरारनामा लोकनिर्माण विभाग के प्रपत्र एफ–2 पर किया जायेगा। पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या ए–21 नियम – 8/92–6113 (ए) दिनांक 18.11.1992 से एकरारनामा प्रपत्र एफ–2 की कंडिका संख्या 23 को विलोपित माना जाएगा।
15. विभाग के सक्षम पदाधिकारी को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यो को या किसी कार्य के किन्हीं अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

. कार्यो में प्रयुक्त होने वाले 80/100 या 60/70 पैक्ड बिटुमेन के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक द्वारा स्वंय अपनी लागत पर की जायेगी। जिसके लिए उन्हे विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमेन का क्रय केबल राष्ट्रीयकृत तेल कंपनियो से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के 48 घंटे के अंदर कैशमेमो संबधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा।

17. निविदा में सफल संवेदक को एकरारनामा करने के उपरांत साप्ताहिक एवं मासिक कार्ययोजना समर्पित करना होगा एवं कार्यादेश निर्गत होने के पश्चात् अविलंब कार्य स्थल पर कार्य से संबधित सूचना पट के आकार–प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबध में कार्य प्रभारी अभियंता के निर्देशों का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्य दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरांत अर्थात कार्य की तीनों स्थितियों से संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी करानी होगी। तथा इससे संबधित फोटोग्राफ/सी0 डी0 संबधित कनीय अभियंता को समर्पित करनी होगी जो उन फोटोग्राफ/सी0 डी0 जांचोपरान्त अग्रेतर कार्रवाई हेतु उन्हे संबधित अवर प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित करेगे।

18. एकाधिक निविदाकारों से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये एक निविदाकार के साथ ही दर प्रकमण किया जायेगा एवं उसी निविदाकार को नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

19. निविदाकार पथ निर्माण विभाग के अधीन उपलब्ध हॉट मिक्स प्लांट एवं इक्वीपमेंट बैंक के विरुद्ध भी निविदा दे सकते है। जिसके लिए उन्हें तकनीकी बिड के साथ अपनी सहमति एवं इक्वीपमेंट बैंक के प्रबंधक की सहमति संलग्न करनी होगी।

20. तकनीकी बिड के मुल्याकंन में उसी यंत्र–संयंत्र के विरूद्ध अंक दिया जायगा जो ग्रामीण कार्य विभाग या पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता स्तर के पदाधिकारी से निविदा तिथि के छः माह पूर्व की अवधि में भौतिक रूप में सत्यापित होगें।ऐसी स्थिति नहीं हाने पर यंत्र संयंत्र(गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उपकरणों के साथ) का सत्यापन निविदा प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को सूचना देकर करना होगा। सूचना देने के बाद भी जो संवेदक भौतिक सत्यापन में सहयोग नहीं करेगें उनकी मशीनों के विरूद्ध कोई अंक नही दिया जायेगा और यह माना जायेगा कि मशीन उनके पास उपलब्ध नही है। साथ ही यंत्र संयंत्रो का आलोक चित्र(फोटो), चेचिस संख्या एवं निबन्धन संख्या के साथ, आर0सी0 बुक(ओनर बुक/संवेदक को यंत्र संयंत्र उपलब्ध कराने वाले का ओनर बुक) का सत्यापन छायाप्रति भी समर्पित करना होगा।

21. जिस संवेदक के आचरण प्रमाण में वैध अवधि अंकित है, उस अवधि के बाद निविदा के साथ आचरण प्रमाण पत्र समर्पित करने पर आचरण प्रमाण पत्र की मान्यता नहीं दी जायेगी। जिस संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र में वैध अवधि उल्लेखित नहीं है उसकी मान्यता आचरण प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि से छः माह मानी जायेगी।

22. जिस निविदा में मूल निर्माण कार्य के साथ साथ 5 वर्षो के लिए संधारण मद का कार्य भी करने का प्रावधान होगा ऐसे मामले में जमानत की राशि संतोषजनक कार्य पूरा होने की स्थिति में मूल कार्य की समाप्ति के 5 वर्षो के बाद ही वापस की जायेगी।

23. ए) Maintenance के कार्यान्वियन में पी0एम0जी0एस0वाई0 के सभी नियम एवं शर्ते लागू होगा।

बी) अनुरक्षण कार्य की अवधि प्रारम्भ होने पर अर्थात मुल कार्य पूर्ण होने के उपरान्त संवेदक द्वारा प्रतिमाह किये गये अनुरक्षण कार्य का विपत्र समर्पित करना होगा जिसके साथ संवेदक द्वारा मासिक निरीक्षण प्रतिवेदन एवं संबंधित अभियंता से प्राप्त निर्देश की प्रति को भी संलग्न करना होगा।

सी) विपत्रों का भुगतान छः माह (विगत छः माह में प्राप्त विपत्रों) पर किया जायेगा।

डी) यदि किसी माह के दसवीं तिथि तक पूर्व माह का विपत्र संवेदक से प्राप्त नहीं होता है, अथवा संबंधित अभियंता द्वारा पाया जाता है कि उनके द्वारा त्रुटियों के निराकरण हेतु दिये गये निर्देश के आलोक में निर्धारित अवधि में संवेदक द्वारा अनुरक्षण कार्य नहीं कराया गया है तो संवेदक को वर्णित माह का भुगतान देय नहीं होगा।

इ) यदि संवेदक निर्धारित अवधि में संबंधित अभियंताओं द्वारा दिये गये निर्देश का अनुपालन करने में विफल होते है तो संवेदक को उस माह का किसी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।

24. (क) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नही होगें।

(ख) निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तो को पुरा करने के बावजूद, कोई निविदाकार निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होगें यदिः–

I) निविदाकार के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरण, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।

II) किसी निविदाकार का कार्य निष्पादन का Record खराब रहा हो। अर्थात उन्होनें आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्तो के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आंवटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वितीय अक्षमता सिद्ध हुई हो, या उनके पास पूर्व से आंवटित कार्य निर्धारित समय– सीमा के बाद भी पूरा करने हेतु लंबित हो।

III) निविदाकार द्वारा पूर्व में उसी कार्य हेतु Unreasonably ऊँचा या कम दर डाला गया हो, जिसके लिए उनके द्वारा नियोक्ता को कोई युक्ति पूर्ण कारण न बताया गया हो।

5.सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

26. कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित विभागीय दर से 15 (पन्द्रह) प्रतिशत से कम दर की निविदा अमान्य होगी।

27. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। विस्तृत सूचना के लिए किसी भी कार्य दिवस की कार्यावधि में कार्यपालक अभियंता के कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

28. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि एक या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये रद्द कर दे जिसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।

29. यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

30. Bitumen Price Neutralization लागु होगा।

31. E- Tendering की प्रक्रिया से संबंधीत किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु पाँचवा तल्ला, ग्रामीण कार्य विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना से संपर्क किया जा सकता है।

दूरभाष संख्या–(0612)2545243,9973787275, एवं (06344)222724

ई–मेल– etenderingbihhelp@gmail.com

ऑन लाईन निविदा फार्म मिलने का समय	:– 04.11.2011 09:00 बजे से 11.11.2011, 15:00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा जमा करने का समय	:– 12.11.2011, 15:00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा खोलने का समय	:– 12.11.2011, 15:30 बजे तक

निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेब साईट http:/pmgsytendersbih.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक संवेदकों को अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेब साईट http:/pmgsytendersbih.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक:–......................../ दिनांक:–..............................

प्रतिलिपि:– निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को पाँच अतिरिक्त प्रतियों एवं सी० डी० के साथ प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में लगातार तीन दिनों तक प्रकाशनार्थ समर्पित।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक:–......................../ दिनांक:–..............................

प्रतिलिपि:– सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख – सह – अपर आयुक्त– सह –विशेष सचिव , ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्याचंल मुंगेर को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर।

ज्ञापांक:–1113/ दिनांक:–30-09-11

प्रतिलिपि:– जिला पदाधिकारी, मुंगेर एवं जिला सूचना पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक, मुंगेर/सहायक अभियंता, मुंगेर/प्रमंडलीय रोकड़पाल/ प्राक्कलन पदाधिकारी/ प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

30/9/11

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुंगेर।